



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2019]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939

No. 2019]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2017

का. आ. 2277(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपखण्ड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (हरियाणा का 1998 का अधिनियम 10) के अधीन गठित आयोग “हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग” को उक्त उपधारा के प्रयोजनार्थ उक्त निकाय को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में एतद्वारा अधिसूचित करती है, यथा :—

- (क) हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सहायता एवं ऋण;
 - (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन प्राप्त शुल्क; और
 - (ग) सरकारी अनुदानों तथा ऋणों पर प्राप्त ब्याज और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन प्राप्त शुल्क।
2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगी कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग:-
- (क) किसी अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) पूरे वर्ष के क्रियाकलाप और निर्दिष्ट आय का स्वरूप वही रहेगा; और
 - (ग) उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-20, 2020-2021 तथा 2021-22 के लिए लागू रहेगी

[अधिसूचना संख्या 66/2017, फा.सं.300196/9/2017-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक